डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 7 ● भोपाल ● 1-15 सितम्बर, 2018 ● पृष्ठ 12 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

व्यापार के लिए 1.6 लाख छोटे व्यापारियों को इस वर्ष मिलेंगे ऋण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहरी हितग्राही सम्मेलन में गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में साथ देने का किया आव्हान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लघु व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा में मिलने वाली क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि 16 हजार रूपये को बढ़ाकर एक लाख रूपये किया जायेगा। हाथठेला चालकों के लिये नगरों में स्थान भी चिन्हांकित होंगे। इस वर्ष सरकार की गारंटी पर बैंकों द्वारा मुख्यमंत्री स्व–रोजगार, आर्थिक कल्याण और मुद्रा बैंक योजनाओं में एक लाख 60 हजार लघु व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। ऋण राशि का 15 प्रतिशत अनुदान और 5 प्रतिशत ब्याज भी सरकार द्वारा दिया जायेगा। श्री चौहान मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शहरी हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का प्रदेश के 378 नगरों में लाईव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद, विदिशा, देवास, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर के हितग्राहियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने भोपाल के हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण भी किया।

गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में सरकार का दें साथ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लघु और फुटकर व्यापारियों का आव्हान किया है कि गरीबी के विरूद्ध लड़ाई में सरकार का साथ दें। गरीबी को हराने के सरकार के प्रयासों से जिन्दगी को बेहतर बना, उन्हें सफल करें। सरकार का मकसद सबका विकास है। यह तभी होगा, जब विकास का प्रकाश गरीब के झोपड़े में पहुँचे।

गरीबों की आय बढ़ाने के साथ ही सरकार उन्हें जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सस्ता अनाज, निःशुल्क इलाज, शिक्षा, फ्लेट रेट पर बिजली, बकाया बिलों की माफी, रहने के लिये पक्के मकान, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद सहायता, आकस्मिक मृत्यु और अंत्येष्टि के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। नगरों को बेहतर बनाने के कार्य किये जा रहे हैं। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये मुख्यमंत्री पेयजल योजना में सभी 378 नगरीय निकाय में नल–जल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अवैध कॉलानियों को वैध किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं। सीवेज सिस्टम भी 60 प्रतिशत नगरों में बनाये जा रहे हैं।

गरीब मजबूर नहीं रहेगा

श्री चौहान ने कहा कि इतिहास में गरीब के साथ न्याय नहीं किया है। मगर अब गरीब को मजबूर नहीं रहने दिया जायेगा। पुरानी सरकारें बड़े घरों को राशि भेजती थीं।

(शेष पृष्ठ 10 पर)

अपेक्स बैंक में ध्वजारोहण

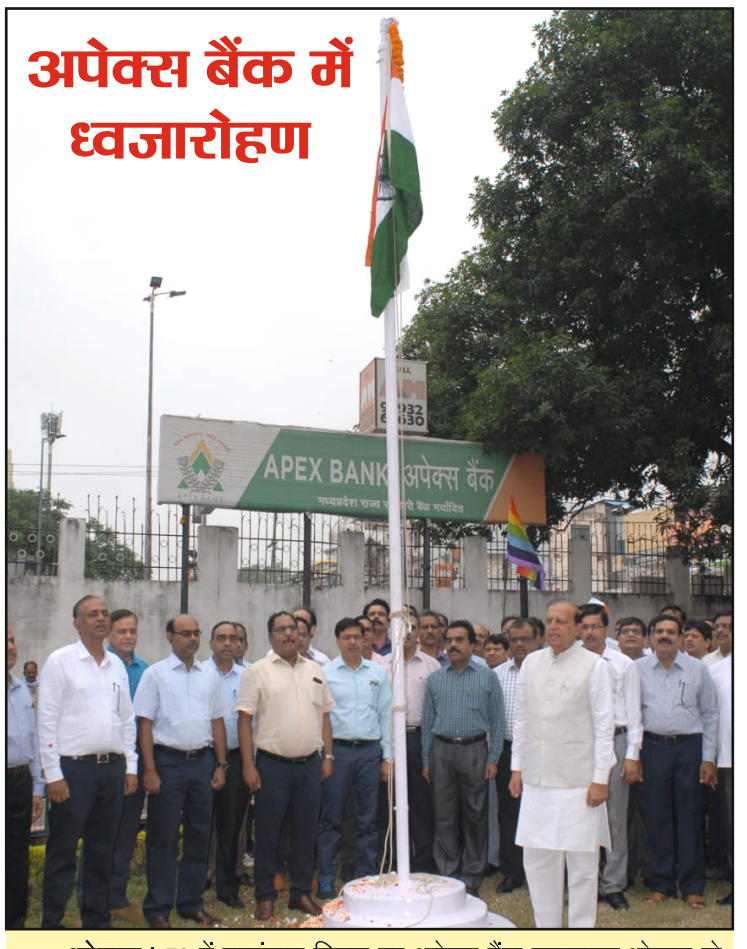

भोपाल। 72 वें स्वतंत्रता दिवस पर अपेक्स बैंक मुख्यालय भोपाल के टी.टी. नगर स्थित प्रांगण में बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.के. शर्मा, विशिष्ट अधिकारी द्वय सर्वश्री यतीश त्रिपाठी एवं महेन्द्र दीक्षित जी सहित बैंक के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। प्रशासक एवं प्रबंध संचालक के उद्‌बोधन के बाद सहायक महाप्रबंधक श्री उमेश राहंगडाले ने सभी को समर्पण भाव से अपने काम को सम्पादित करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम का संचालन श्री विनोद श्रीवास्तव, प्रबंधक एवं आभार प्रदर्शन सहायक महाप्रबंधक श्री के.टी. सज्जन ने किया।

वित्तीय पत्रक का प्रकाशन

इस अंक में निम्न बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खरगोन
2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, झाबुआ

राज्य सहकारी संघ में ध्वजारोहण

भोपाल। स्वाधीनता दिवस पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ परिसर में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री रंजन ने अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दीं। इस मौके पर श्री संजय सिंह तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सहकारी समितियों के विकास हेतु अमानत वृद्धि और ऋण वसूली दोनों ही जरूरी - श्री तिवारी

सिवनी में सहकारी कार्यशाला प्रभावी ढंग से सम्पन्न

सिवनी। '' सहकारी क्षेत्र में प्रबंधकों के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन सहकारी संस्थाओं के विकास में सहायक सिद्ध होता है और यह कार्यशाला भी सहकारी समितियों के प्रबंधकों को अमानत वृद्धि एवं प्रभावकारी ऋण वसूली के सम्बन्ध में सार्थक सन्देश प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकती है।'' यह विचार जबलपुर संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री पी.एस. तिवारी ने सिवनी में रजवाड़े होटल के सभागार में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना सिवनी और सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सहकारी कार्यशाला के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। अमानत वृद्धि और प्रभावकारी ऋण वसूली विषय पर आधारित इस कार्यशाला में सिवनी जिले की सहकारी समितियों के प्रबंधकों ने भाग लिया।

संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने सहकारी समितियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि आज सहकारी समितियों के बचत बैंकों में अमानते बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक खाते खोले जाने चाहिए और ऋण वितरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण वसूली को प्रभावकारी और सशक्त बनाये जाने चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में स्वागत भाषण देते हुए आई.सी.डी.पी. सिवनी की महाप्रबंधक एवं उपायुक्त सहकारिता सुश्री अनीता उइके ने सिवनी जिले में सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में आई.सी.डी.पी. ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

सुश्री उइके ने कहा कि आई. सी.डी.पी. सिवनी के विकासशील कार्यों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सहकारिता विभाग और सहकारी समितियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान विशेष अतिथि के रूप में पूर्व संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री बी.सी. उइके ने सम्बोधित करते हुए कहा कि अमानत वृद्धि एवं ऋण वसूली के सम्बन्ध में कार्यशाला में मिली जानकारी का उपयोग समिति प्रबंधकों को अपने कार्यक्षेत्र में करना चाहिए। ऐसी कार्यशालाएं सहकारी क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक मैनेजर श्री कंठ प्रसाद दास ने सहकारी बैंक और निजी बैंक के कार्यों में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ऋण वसूली के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिया।

विशेष अतिथि के रूप में श्री जी.पी. सोनकुसरे उपायुक्त सहकारिता सिवनी ने कहा कि समिति के प्रबंधकों को ऋण वितरण और ऋण वसूली के सम्बन्ध में सहकारी विधान के अंतर्गत प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। विधान के अंतर्गत सावधानी बरतने से समस्याऐं नहीं आयेंगी।

आयोजन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सिवनी के महाप्रबंधक श्री आर.एस. पटेल ने सहकारी बैंकिंग और खतों के परिचालन के सम्बन्ध में प्रबंधकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और कहा कि ऋण वसूली के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य में गति लायें।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के से.नि. महाप्रबंधक श्री एस.पी. हरिनखेड़े ने आयोजन में सहकारी समिति के प्रबंधकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अमानत वृद्धि हो या ऋण वसूली समिति के कर्मचारियों को विवाद से बचना चाहिए। ऋण वसूली करते समय अधिकांश प्रकरणों में विधान के अनुसार कार्य करना ही सहकारी कर्मचारियों के हित में होगा।

विशेष अतिथि के रूप में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन की सक्रिय भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि राज्य संघ एवं प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण शिविर अमानत वृद्धि एवं ऋण वसूली में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। श्री पाठक ने प्रशिक्षण शिविरों के प्रभावशाली आयोजन में सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यक्रम के दौरान आई.सी. डी.पी. के विकास अधिकारी श्री वाणी विलास शर्मा और श्री रामकिशोर बघेल द्वारा प्रोजेक्टर पर चित्रमय प्रदर्शन अतिथियों और श्रोताओं के आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन के प्रारम्भ में आशादीप अंधमूक विद्यालय के बालकों द्वारा सरस्वती वंदना का मधुर स्वर में गीत गायन किया गया। कार्यक्रम का संपूर्ण व सफल और प्रभावी संचालन व संयोजन सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे द्वारा किया गया। श्री बर्वे का प्रभावी संचालन सराहनात्मक रूप से चर्चा का विषय रहा। अंत में आभार प्रदर्शन विकास अधिकारी श्री वाणी विलास शर्मा और श्री मुकेश बाझल द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना से लाभान्वित हुए 12 लाख किसान

किसानों के खाते में जमा करवाई गई 2 हजार करोड़ भावान्तर राशि

भोपाल। प्रदेश में किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ–2017 से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की गई है। योजना के माध्यम से खरीफ सीजन–2017 में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, तुअर, उड़द और मूंग फसल के लिये 12 लाख 38 हजार किसानों के बैंक खाते में 2000 करोड़ रुपये की भावान्तर राशि जमा करवाई गई है।

योजना में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में फसल विक्रय करने पर पर मंडियों की मॉडल विक्रय दर के अन्तर की राशि किसानों के बैंक खाते में जमा करवाने का स्पष्ट प्रावधान है।

प्याज, लहसुन के लिये बाजार हस्तक्षेप योजना

वर्ष 2017–18 में प्याज का उत्पादन अधिक होने और प्याज के भाव गिर जाने पर प्याज उत्पादक किसानों को आर्थिक नुकसान से उबारने के लिये बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत किसानों से 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर 8 लाख 73 हजार मैट्रिक टन प्याज खरीदा गया।

बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत लहसुन उत्पादक किसानों को भी राहत दिलाने के मकसद से 800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर लहसुन की प्रोत्साहन राशि दी गई। योजना में एक लाख 80 हजार किसानों को 480 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में बाजार हस्तक्षेप दर के अनुसार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये 1000 करोड़ रुपये की राशि से मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया है।

किसानों को खसरा खतौनी की नकल

राज्य सरकार ने किसानों को खसरा खतौनी की नकल वर्ष में एक बार उनके घर पर निरूशुल्क प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की है। इसके साथ ही, कृषि उत्पाद लागत और विपणन की बेहतर सुविधा दिलवाने के मकसद से कृषि उत्पाद लागत और विपणन आयोग का गठन करने का निर्णय भी लिया गया है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,खरगोन

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2018 अंत पर

बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट 1949 परिशिष्ठ तीन (धारा 29) प्रारूप अ

रकम 31/03/17 अंत पर	अ. क.	पूंजी एवं देनदारियॉ	रकम	रकम 31/03/18 अंत पर
1	2	3	4	5
	1	अंशपुंजी		
2,00,00,00,000.00		**(अ) अधिकृत पूंजी**	**2,00,00,00,000.00**	**2,00,00,00,000.00**
		1/ अ वर्ग रूपये 1000/– प्रति अंश		
		2/ ब वर्ग रूपये 1000/– प्रति अंश		
		3/ स वर्ग रूपये 100/– प्रति अंश		
		4/ द वर्ग रूपये 100/– प्रति अंश		
		(ब) अभिदत्त अंशपूंजी		
1,75,36,43,000.00		1/ अ वर्ग 1770694 रूपये 1000/– प्रति अंश	1,77,06,94,110.00	
8,20,000.00		2/ ब वर्ग 820रूपये 1000/– प्रति अंश	8,20,400.00	
0.00		3/ स वर्ग प्रति अंश	0.00	
4,59,900.00		4/ द वर्ग 4701 रूपये 100/– प्रति अंश	4,70,135.00	
1,75,49,22,900.00				
		(स)उक्त मे से धारित		
1,75,36,43,110.00		अ/ सहकारी समितियों द्वारा	1,77,06,94,110.00	
8,20,400.00		ब/ शासन द्वारा	8,20,400.00	
4,59,935.00		स/ व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा नामीनल	4,70,135.00	
1,75,49,23,445.00		**योग**	**1,77,19,84,645.00**	**1,77,19,84,645.00**
	2	**रक्षित एवं अन्य निधियॉ**		
26,53,74,841.63		1/ रक्षित निधि	30,29,78,719.63	
16,31,23,134.82		2/ कृषि साख स्थाईकरण निधि	18,56,85,461.82	
3,63,88,107.17		3/ भवन निधि	3,63,88,107.17	
2,75,47,471.66		4/ लाभाष समानीकरण निधि	2,75,47,471.66	
54,06,11,001.72		5/ एन.पी.ए. ऋण निधि	71,08,11,001.72	
44,69,43,336.00		6/ एन.पी.ए. ब्याज निधि	44,69,43,336.00	
1,02,61,279.26		7/ वाहन निधि	1,02,61,279.26	
42,379.00		8/ धर्मादा निधि	1,139.00	
3,04,15,470.45		9/ रिस्क फण्ड	3,04,15,470.45	
13,25,027.00		10/ प्रतिभूतियों पर अवशेष निधि	2,34,41,527.00	
6,03,83,100.00		11/ साज सज्जा	6,03,83,100.00	
1,09,09,004.00		12/ विशेष संदिग्ध एवं डूबंत ऋण कोष	1,09,09,004.00	
2,00,000.00		13/ भूतपूर्व कर्मचारी दायित्व भुगतान निधि	2,00,000.00	
4,14,86,713.44		14/ विकास निधि	4,14,86,713.44	
22,98,91,925.19		15/ ऋणांतर निधि	22,98,91,925.19	
65,89,320.00		16/ अमानत ग्यारंटी बीमा	70,50,572.00	
5,85,45,943.70		17/ शासकीय अंशपूंजी पर ऋण मोचन निधि	5,85,45,943.70	
9,60,57,712.50		18/ कम्प्युटर निधि	9,60,57,712.50	
23,65,00,000.00		19/मानक अस्तियों पर प्रावधान	23,65,00,000.00	
2,71,89,000.00		20/ असमायोजित प्रविष्टीयों पर प्रावधान	2,71,89,000.00	
1,94,85,171.63		21/ गबन धोखाधडी पर प्रावधान	1,94,85,171.63	
6,33,21,246.00		22/ अन्य संपत्ति पर प्रावधान	6,33,21,246.00	
1,04,88,425.00		23/ बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण कोष	1,22,93,411.00	
80,60,000.00		24/स्टाक कवरेज शार्टफाल का प्रावधान	80,60,000.00	
13,36,202.00		25/वार्षिक सा. सभा कोष	8,58,781.50	
75,86,578.41		26/बुक बेलेंसिंग पर प्रावघान	75,86,578.41	
1,22,69,000.00		27/एकमुश्त समझौता प्रावधान	88,81,027.00	
10,00,000.00		28/अध्यक्षीय राहत कोष	10,00,000.00	
88,87,800.00		29/अनुदान रिर्जव फण्ड	1,93,39,020.00	
0.00		30/सहकारी विकास निधि	45,12,465.00	
2,42,22,19,190.58		**योग**	**2,68,80,25,185.08**	**2,68,80,25,185.08**
	3	**राज्य भागीदारी की पुजी से विनियोग**		
0.00		1/ केन्द्रीय सहकारी बैंक	0.00	
0.00		2/ प्राथमिक सहकारी समितियों	0.00	
0.00		3/ अन्य सहकारी समितियों	**0.00**	
0.00		**योग**		**0.00**
	4	**अमानतें**		
		अ/ मियादी अमानतें		
4,82,45,76,880.49		1/ व्यक्तिगत	5,50,16,93,796.93	
70,61,30,610.21		2/ सहकारी समितियॉ	81,06,79,744.59	
89,27,76,422.92		3/ अन्य समितियॉ सभाऐं	97,20,36,194.97	
6,42,34,83,913.62		**योग**	**7,28,44,09,736.49**	**7,28,44,09,736.49**
		ब/ सेविंग अमानतें (बचत)		
2,34,00,21,929.98		1/ व्यक्तिगत	2,90,03,08,867.94	
34,16,60,574.84		2/ सहकारी समितियॉ	39,02,98,330.41	
46,03,95,778.40		3/ अन्य समितियॉ सभाऐं	48,76,32,758.92	
3,14,20,78,283.22		**योग**	**3,77,82,39,957.27**	**3,77,82,39,957.27**
		स/ चालू खातें में		
1,99,88,460.00		1/ व्यक्तिगत	2,62,04,327.42	
13,62,272.82		2/ सहकारी समितियॉ	17,86,050.27	
10,41,75,643.25		3/ अन्य समितियॉ सभाऐं	8,39,40,580.91	
12,55,26,376.07		**योग**	**11,19,30,958.60**	**11,19,30,958.60**
		द/ आहुत एवं अन्य (कॉल डिपाजिट)		

रकम 31 मार्च 2017 अंत पर	अ. क.	सम्पत्तियॉ एवं आस्तियॉ	रकम	रकम 31 मार्च 2018 अंत पर
1	2	3	4	5
	1	रोकड		
27,03,78,571.13		1/ शाखाओं में नगद राशि	22,99,57,176.78	
3,29,27,457.95		2/ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,88,53,149.51	
2,05,28,228.77		3/ म.प्र.राज्य सहकारी बैंक	7,05,74,628.41	
21,07,166.18		4/ बैंक ऑफ इंडिया	22,85,924.09	
25,95,19,600.98		5/ पंजाब नेशनल बैंक	3,71,91,569.72	
5,67,40,462.40		6/ सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	34,84,03,628.26	
7,258.35		7/ बैंक आफ महाराष्ट्र	7,025.35	
9,36,70,373.71		8/ आई.डी.बी.आई. बैंक	3,07,04,323.20	
14,07,737.02		9/ यूनियन बैक	7,10,881.02	
57,324.10		10/ नर्मदा मालवा विकास बैंक	56,991.10	
1,27,087.00		11/ बैंक ऑफ बडौदा	3,82,87,666.00	
59,028.71		12/ एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड	2,63,475.21	
8,38,99,837.81		13/ आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	8,88,09,257.39	
1,90,37,177.37		14/ एक्सिस बैंक	31,84,792.38	
84,04,67,311.48		**योग**	**86,92,90,488.42**	**86,92,90,488.42**
	2	**अन्य अधिकोष में**		
0.00		1/ चालू अधिकोष में	0.00	
0.00		2/ सेविंग खाते (पोस्ट आफिस)	0.00	
0.00		**योग**	**0.00**	**0.00**
	3	कॉल डिपाजिट		
0.00		1/ अपैक्स बैंक	0.00	
0.00		**योग**	**0.00**	**0.00**
	4	**विनियोजन**		
		अ/सिक्युरिटी		
0.00		1/इंदिरा विकास पत्र(पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
0.00		2/शासकीय प्रति भूति(पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
0.00		3/भूमि विकास बैंक ऋण पत्रक(पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
		ब/ अन्य संस्थाओं के अंश		
69,18,99,900.00		1/ म.प्र. राज्य सहकारी बैंक भोपाल	69,18,99,900.00	
11,50,000.00		2/ जवाहरलाल नेहरू सूतामिल खरगोन	11,50,000.00	
1,000.00		3/ म.प्र. राज्य सह0प्रिटिंग प्रेस, जबलपुर	0.00	
9,45,000.00		4/ इंडियन फामर्स फर्टि.को.ऑप. दिल्ली	9,45,000.00	
1,00,000.00		5/ नर्मदातेल प्रकिया	1,00,000.00	
5,00,000.00		6/ कृषक भारतीय को.आप.दिल्ली	5,00,000.00	
10,000.00		7/म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक के अंश	10,000.00	
69,46,05,900.00		**योग**	**69,46,04,900.00**	**69,46,04,900.00**
4,37,34,11,736.00		1/ शीर्ष बैंक में मुदृदती अमानत	3,03,21,71,020.00	
87,86,78,762.68		2/ स्टेट बैंक आफ इन्दोर एवं अन्य व्यवसायिक बैंक	81,26,83,307.71	
4,96,24,548.00		3/ शीर्ष बैंक में रक्षित निधि	5,31,23,079.00	
77,38,72,507.00		4/ यु.टी.आई म्यूचूअल फण्ड	32,00,00,000.00	
5,00,00,000.00		5/ एस.बी.आई म्यूचूअल फण्ड	1,00,00,000.00	
2,13,72,90,000.00		6/ शासन प्रतिभुति	2,33,72,90,000.00	
8,26,28,77,553.68		**योग**	**6,56,52,67,406.71**	**6,56,52,67,406.71**
8,95,74,83,453.68		**महायोग**	**7,25,98,72,306.71**	**7,25,98,72,306.71**
	5	**राज्य भागीदारी की मूल सहा.पंजी विनियोजन**		
0.00		1/ अंशपूंजी केन्द्रीय सहकारी अधिकोष	0.00	
0.00		2/ अंशपूंजी प्राथमिक सहकारी समितियॉ	0.00	
0.00		3/ अंशपूंजी अन्य सहकारी समितियॉ	0.00	
0.00		**योग**	**0.00**	**0.00**
	6	**ऋण एवं अग्रिम सह0समितियों व व्यक्तिगत**		
		अ/ नगद साख अधिविकर्ष तथा बिलों से प्रतिभूत		
84,58,04,623.62		1/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	1,77,14,38,877.79	
		2/ इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
		ब/ अल्पकालीन ऋण		
		1/ शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियों पर		
13,28,47,84,165.81		2/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	19,12,55,10,585.62	
		3/ इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
		स/ मध्यकालीन ऋण		
		1/ शासकीय प्रतिभूतियों पर		
79,22,09,047.27		2/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर(म.का.कृषि ऋण)	71,45,17,949.75	
		3/ इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
		द/ लम्बी अवधि का ऋण जो प्रतिभूत है		
		1/ शासकीय प्रतिभूतियों पर		
15,56,35,139.40		2/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर (एल.टी.ओ.)	14,92,17,539.76	

रकम 31/03/17 अंत पर	अ. क.	पूंजी एवं देनदारियॉ	रकम	रकम 31/03/18 अंत पर
1	2	3	4	5
0.00		ई/ नान आपरेटिव्ह (डेड अकाउन्ट)	**0.00**	
9,69,10,88,572.91		योग	**11,17,45,80,652.36**	**11,17,45,80,652.36**
	5	ऋण बारोइंग नाबार्ड (अपेक्स बेंक)		
		1/ अल्पकालीन ऋण जो प्रतिभूत है		
0.00		1/ शासकीय प्रतिभूतियों पर	**0.00**	
10,78,70,00,000.00		2/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	13,88,41,06,152.10	
		3/ म.प्र.राज्य सह0बैंक भोपाल अधिविकर्ष		
		2/ मध्यकालीन ऋण जो प्रतिभूत हैं		
0.00		1/ शासकीय प्रतिभुतियों पर	0.00	
5,75,12,880.00		2/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	16,13,09,540.00	
		3/ लम्बी अवधि का ऋण		
0.00		1/ शासकीय प्रतिभुतियों पर	0.00	
9,36,52,633.00		2/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	2,34,61,600.00	
		4/ राज्य शासन से		
0.00		1/ अल्पकालीन ऋण	**0.00**	
0.00		2/ अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	**0.00**	
10,93,81,65,513.00		योग	**14,06,88,77,292.10**	**14,06,88,77,292.10**
6,45,564.00	6	वसूली योग्य बिल्स (बिल्स कलेक्शन)	0.00	
6,45,564.00		योग	**0.00**	**0.00**
7,92,11,438.80	7	शाखाओं का जमा खर्च (तहवील)	4,13,77,443.89	
7,92,11,438.80		योग	**4,13,77,443.89**	**4,13,77,443.89**
	8	ब्याज देना		
1,17,52,094.53		1/ अमानतों पर	1,13,19,107.54	
1,17,52,094.53		योग	**1,13,19,107.54**	**1,13,19,107.54**
	9	ब्याज		
26,08,660.00		1/एन.पी.ए. नाट कलेक्ट	2,08,91,887.00	
26,08,660.00		योग	**2,08,91,887.00**	**2,08,91,887.00**
	10	अन्य देनदारियॉ		
0.00		1/ देने योग्य बिल्स	23,10,806.00	
0.00		योग	**23,10,806.00**	**23,10,806.00**
	11	फुटकर देनदारियॉ		
63,34,922.61		1/ ड्राफ्ट पेयबल	63,98,521.51	
63,34,922.61		योग	**63,98,521.51**	**63,98,521.51**
	12	अन्य देना		
2,63,787.95		1/ प्रिमीयम कलेक्शन	2,40,303.55	
0.00		2/ फर्टिलायजर सेल्स कलेक्शन अकाउन्ट	0.00	
12,90,776.00		3/ आडिट फीस पेयबल	17,85,291.00	
6,36,375.96		4/ सामूहिक बीमा क्लेम	6,05,074.96	
0.00		5/कर्मचारी उपादान (ग्रेच्यूटी)	87,54,515.48	
0.00		6/कर्मचारी कल्याण निधि	32,60,912.90	
38,93,686.00		7/ प्रा0फण्ड बैंक विभाग	44,34,993.00	
5,19,78,137.29		8/ अन्य देना	6,20,90,016.44	
1,88,392.00		9/ लाभांश पेयबल	2,59,151.00	
60,594.16		10/ कर्म. समूह बीमा योजना	57,469.16	
85,67,094.34		11/ टेक्स पेयबल	62,59,749.09	
11,15,000.00		12/ अनुदान	17,61,770.00	
22,72,646.30		13/ समर्थन मूल्य शाखा	9,83,28,092.82	
7,52,403.19		14/ पी.डी.एस. केश केडिट शाखा	1,71,346.43	
25,190.60		15/ बीज केडिट बैलेंस शाखा	0.00	
5,34,297.97		16/ फर्टिलाइजर शाखा	2,85,000.00	
25,24,080.16		17/ अन्य केडिट बैलेंस शाखा	30,90,287.44	
3,00,000.00		18/ एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	2,00,000.00	
6,50,00,000.00		19 / आयकर पेयबल	7,35,00,000.00	
493.00		20/प्रधान मंत्री बीमा योजना	1,192.00	
269.00		21/ अटल पेशन योजना	55,933.00	
0.00		22/डी एम आर रिकवरी	27,21,421.78	
0.00		23/स्टील खाता एम एस ए	30,30,956.25	
0.00		24/ए.टी.एम किलरिंग खाता	15,000.00	
13,94,03,223.92		योग	**27,09,08,476.30**	**27,09,08,476.30**
	12	लाभ हानि :		
25,47,72,455.44		1/ गत वर्ष स्थिति विवरण पत्रक का लाभ	26,08,94,613.08	
14,42,93,356.00		2/ अंकेक्षण वर्ष में लाभ विभाजन (–)	14,60,92,302.00	
15,04,15,513.64		3/ जोडा इस वर्ष का लाभ	15,55,91,906.15	
26,08,94,613.08		योग	**27,03,94,217.23**	**27,03,94,217.23**
25,30,72,47,238.43		महायोग	**30,32,70,68,234.01**	**30,32,70,68,234.01**

रकम 31 मार्च 2017 अंत पर	अ. क.	सम्पत्तियॉ एवं आस्तियॉ	रकम	रकम 31 मार्च 2018 अंत पर
1	2	3	4	5
		3/ इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
		इ/ समापन की संस्थाओं पर ऋण	3,73,66,480.42	
3,73,66,497.42		1/ इनमें से कालातीत		
15,11,57,99,473.52		योग –	**21,79,80,51,433.34**	**21,79,80,51,433.34**
	7	प्राप्ति योग्य ब्याज		
16,49,34,321.25		1/ प्रतिभूतियों व अमानतों पर	10,72,14,186.33	
0.00		2/ कृषि ऋणों पर	0.00	
0.00		3/ अकृषि ऋणों पर	0.00	
16,49,34,321.25		योग –	**10,72,14,186.33**	**10,72,14,186.33**
	8	वसूली योग्य बिल्स		
6,45,564.00		1/ बिल्स रिसीव्हेबल	0.00	
6,45,564.00		योग –	**0.00**	**0.00**
	9	शाखा समायोजन		
0.00		1/ तहवील (शाखा समायोजन)	0.00	
	10	भवन एवं भूमि		
3,18,72,303.64		1/ बिल्डिग्सं	3,17,09,420.64	
	11	साज सज्जा		
3,53,66,789.13		1/ फर्नीचर फिक्सर्स	4,20,17,733.02	
	12	वाहन		
17,79,689.00		1/ जीप,कार	27,48,380.00	
	13	मशीनरी		
9,82,462.53		1/कम्प्यूटर्स सम्पत्ति	7,93,804.53	
10,335.00		2/कम्प्यूटर साफ्टवेयर सम्पत्ति	22,23,260.00	
27,225.00		3/कम्प्यूटर लेब	16,335.00	
7,00,38,804.30		योग –	**7,95,08,933.19**	**7,95,08,933.19**
	14	अन्य सम्पत्तियॉ		
1,27,888.50		1/ त्यौहार एवं प्रवास अग्रिम	3,59,728.00	
1,20,473.31		2/ सिक्युरिटी डिपा (बिजली,टेलीफोन,आदि)	1,60,673.31	
2,44,000.00		3/ अनाज अग्रिम (कर्मचारीयों से)	1,68,500.00	
34,37,306.43		4/ स्टेशनरी प्रिटिंग बैंक विभाग(स्टॉक)	29,22,474.20	
18,97,105.05		5/ स्टेशनरी प्रिटिंग समिति विभाग(स्टॉक)	24,14,808.38	
1,80,80,821.91		6/ अन्य लेना	3,88,25,937.91	
5,12,17,624.00		7/ राज्य एवं केन्द्र शासन (ब्याज लेना)	5,12,17,624.00	
69,09,250.00		8/प्रिमियम विनियोजन	66,08,000.00	
20,78,572.00		9/वित्तीय साक्षरता प्रोजेक्ट	14,37,379.00	
68,15,140.00		10/सेनवेट क्लेम	79,42,677.00	
6,50,00,000.00		11/आयकर अग्रीम	7,35,00,000.00	
0.00		12/यूआईडी क्रेडिट	6,00,789.65	
19,50,129.00		13/एनईएफटी अनपोस्टेट	7,04,340.79	
0.00		14/मेडीक्लेम पालिसी	10,36,800.00	
0.00		15/एलपीजी डीबीटीएल	91,994.79	
0.00		16/जी एस टी रिसीबल	1,01,20,888.57	
0.00		17/डी एम.आर खाता	3,73,637.26	
0.00		18/शासन खाद 10प्रतिशत संस्था	1,46,44,633.16	
15,78,78,310.20		योग	**21,31,30,886.02**	**21,31,30,886.02**
25,30,72,47,238.43		महायोग	**30,32,70,68,234.01**	**30,32,70,68,234.01**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन

नफा –नुकसान व्यय पत्रक वर्ष 2017–2018 माह 01 अप्रेल 17 से 31.03.2018 तक

31 मार्च 2017	क.	क.	आय के मद	राशि	31-03-2018
	1		ब्याज प्राप्त		
1,84,96,59,255.43		1	ऋणो पर ब्याज प्राप्त	1,86,66,67,286.58	
35,91,34,443.01		2	विनियोजन पर ब्याज प्राप्त	47,81,53,296.82	
3,72,68,711.74		3	अंशो पर लाभांश प्राप्त	2,90,05,783.40	
2,24,60,62,410.18			योग	**2,37,38,26,366.80**	**2,37,38,26,366.80**
	2		अन्य प्राप्तियॉ		
31,75,809.97		1	कमीशन	27,25,071.47	
21,49,225.25		2	फसल बीमा एवं रासायनिक खाद से प्राप्त प्रशासकीय शुल्क	19,63,586.58	
22,96,460.64		3	इंसीडेन्टल चार्जेस	23,60,285.42	
2,205.00		4	प्रवेश शुल्क	3,090.00	
22,92,513.00		5	अन्य आय	48,82,766.00	
99,16,213.86			योग	**1,19,34,799.47**	**1,19,34,799.47**
2,25,59,78,624.04			महायोग	**2,38,57,61,166.27**	**2,38,57,61,166.27**

सही/–
(राजेन्द्र आचार्य)
प्रबंधक (लेखा)
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(एम. के. बार्चे)
प्रबंध संचालक,
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(परसराम चौहान)
संचालक
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(रणजीतसिह डंडीर)
अध्यक्ष
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(वी. के. डफरिया एण्ड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
मनीष डफरिया
(पार्टनर)
मे.नं. 075591
फर्म नं. 000021 सी

स्थान –खरगोन
दिनांक– 23.05.2018

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन

नफा –नुकसान व्यय पत्रक वर्ष 2017–2018 माह 01 अप्रेल 17 से 31.03.2018 तक

31 मार्च 2017	क्र.		व्यय के मद	राशि	31-03-2018
	1		**ब्याज दिया**		
62,90,31,568.64		1	अमानतो पर ब्याज दिया	67,42,97,009.30	
74,95,60,844.66		2	उधारग्रहण पर ब्याज	75,84,00,530.09	
22,54,07,094.00		3	केंद्र शासन ब्याज अनुदान	17,32,49,399.00	
1,60,39,99,507.30			**योग**	**1,60,59,46,938.39**	**1,60,59,46,938.39**
	2		**प्रशासनिक व्यय**		
24,81,22,159.00		1	वेतन, उपवेतन, भविष्य निधि	27,24,26,080.00	
1,67,81,200.00		2	बोनस /एक्सग्रेसिया	9,02,891.00	
8,830.00		3	संचालक मंडल भत्ता	1,26,203.00	
26,49,12,189.00			**योग**	**27,34,55,174.00**	**27,34,55,174.00**
	3		**कार्यालयीन व्यय**		
33,112.52		1	दूरलेख तथा डाक व्यय	40,102.00	
2,93,219.96		2	टेलीफोन व्यय	4,97,361.12	
36,35,185.00		3	शाखा भवन किराया	37,95,402.00	
14,27,460.00		4	विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार	31,34,076.60	
24,50,992.27		5	सत्कार व्यय	29,57,273.51	
18,43,713.66		6	प्रिटिंग बाईडिंग एवं स्टेशनरी	28,57,672.98	
2,34,579.00		7	भृत्य गणवेश	6,35,642.00	
3,11,261.00		8	वाहन रिपेयर्स	2,35,005.00	
20,86,369.26		9	डीजल पेट्रोल	21,40,562.06	
28,66,647.70		10	रेन्ट एण्ड टैक्सेस एवं बिजली खर्च	33,11,953.08	
1,90,50,505.00		11	आयकर	39,09,140.00	
1,07,46,965.00		12	बीमा	1,09,95,183.00	
6,63,827.00		13	विधि व्यय	10,13,038.00	
1,49,516.00		14	पत्र पत्रिका	1,56,337.00	
6,66,188.00		15	वाहन किराया	9,30,623.00	
16,48,123.33		16	विविध व्यय	17,79,512.30	
6,500.00		17	फर्निचर रिपेयर्स	0.00	
65,220.00		18	मशीन रिपेयर्स	71,544.00	
1,31,939.36		19	कमीशन (अन्य बैंको को दिया)	3,48,664.65	
2,62,469.58		20	कम्प्यूटर व्यय	2,87,532.03	
19,380.00		21	प्रशिक्षण व्यय	5,25,934.00	
19,662.50		22	अंशदान क्लिरिंग अपेक्स बैकर्स संघ	19,585.00	
56,039.00		23	जनरेटर व्यय	76,050.02	
4,05,518.00		24	मशीनो का वार्षिक मेन्टेटेंस शुल्क	7,79,574.00	
0.00		25	अपलेखन (डेड स्टॉक)/स्टेशनरी	0.00	
4,18,075.00		26	लेन नेट वर्किंग एण्ड इलेक्ट्रिक व्यय	5,26,954.00	
85,70,418.00		27	सी. बी. एस. चार्ज	85,56,371.00	
40,560.00		28	भवन मरम्मत	81,699.00	
1,58,898.00		29	एस.एम.एस. अलर्ट व्यय	2,22,624.00	
15,79,218.00		30	आडिट फीस एवं अंकेक्षण शुल्क	22,52,250.00	
6,10,321.00		31	सी. बी. एस. मल्टीप्लाई चार्ज	6,53,660.00	
7,82,750.00		32	विनियोजन शासन सिक्यू. प्रीमियम	8,36,250.00	
2,85,066.89		33	कम्प्यूटर हार्डवेअर ए एम सी	5,31,879.64	
1,62,55,399.00		34	सिक्यूरिटी गार्ड वेतन	1,68,50,027.00	
0.00		35	सर्विस टेक्स	2,20,624.00	
0.00		36	शासन सिक्यूरिटी पर अवक्षयण	2,21,17,500.00	
			अवयक्षण		
3,14,064.00		37	वाहन पर अवयक्षण	4,85,007.00	
38,89,865.00		38	डेड स्टॉक पर अवयक्षण	41,47,874.00	
34,24,025.00		39	भूमि भवन पर अवयक्षण	34,12,030.00	
5,07,362.50		40	पेरेशिएबल डेड स्टॉक पर अवयक्षण	6,94,120.74	
16,40,778.00		41	कम्प्यूटर सम्पत्ति पर अवयक्षण	4,79,951.00	
15,502.00		42	कम्प्यूटर साफ्टवेयर सम्पत्ति	9,46,740.00	
40,837.00		43	कम्प्यूटर लेब सम्पत्ति	10,890.00	
98,32,433.50			**योग**	**1,01,76,612.74**	
8,76,07,532.53			**योग**	**10,35,24,218.73**	**10,35,24,218.73**
	4		**अंशदान /प्रावधान**		
0.00		1	केडर फण्ड अंशदान	14,28,141.00	
1,65,00,000.00		2	एन पी ए ऋण निधि प्रावधान	17,02,00,000.00	
0.00		3	जिला संघ अभिदाय /अंशदान	0.00	
0.00		4	लाभांश समानीकरण कोष	0.00	
11,49,752.00		5	एक मुश्त समझौता योजना(लोक अदालत)	0.00	
11,52,200.00		6	कर्मचारी कल्याण निधि अंशदान	9,84,975.00	
93,453.00		7	कर्मचारी कल्याण निधि पर ब्याज	1,66,927.00	
0.00		8	मानक अस्तियो पर प्रावधान	0.00	
0.00		9	वार्षिक साधारण सभा व्यय कोष	0.00	
6,50,00,000.00		10	आयकर पेयबल	7,35,00,000.00	
0.00		11	साज सज्जा निधि	0.00	
3,97,39,000.00		12	ऋण असंतुलन निधि	0.00	
0.00		13	रिस्क फण्ड	0.00	
2,45,90,600.57		14	उपादान (ग्रेच्यूटी) बीमा	3,17,221.00	
0.00		15	विशेष संदिग्ध एवं डुबन्त निधी	0.00	
6,25,030.00		16	अमानत गारंटी बीमा अंशदान	4,61,252.00	
0.00		17	भवन निधि	0.00	
1,93,846.00		18	पी.डी.सी. अंशदान	1,84,413.00	
14,90,43,881.57			**योग**	**24,72,42,929.00**	**24,72,42,929.00**
2,10,55,63,110.40			**महायोग**	**2,23,01,69,260.12**	**2,23,01,69,260.12**
15,04,15,513.64			**वर्ष का शुद्ध लाभ**	**15,55,91,906.15**	
2,25,59,78,624.04			**महायोग**	**2,38,57,61,166.27**	**2,38,57,61,166.27**

सही/–
(राजेन्द्र आचार्य)
प्रबंधक (लेखा)
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(एम. के. बार्चे)
प्रबंध संचालक,
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(परसराम चौहान)
संचालक
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(रणजीतसिह डंडीर)
अध्यक्ष
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(वी. के. डफरिया एण्ड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
मनीष डफरिया
(पाटर्नर)
मे.नं. 075591
फर्म नं. 000021 सी

स्थान –खरगोन
दिनांक– 23.05.2018

V.K. Dafria & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
H.O : 302 & 309, Manas Bhawan Ext., R.N.T. Marg, INDORE, Phone : 2520..42, 4237537, E-mail : info@vkdca.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन (म. प्र.)

वितीय विवरण पर रिपोर्ट (Report on Financial Statements) :-

हमने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन के वितीय विवरण -पत्रों - जो बैंक के मुख्य कार्यालय एवं 63 शाखाओ से सम्बंधित है का लेखा परिक्षण किया है जिनमें 31-03 -2018 का स्थति विवरण पत्र ,नफा -नुकसान पत्रक और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां शमिल है ।

वितीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व (Management's Responsibility for the Financial Statement) :-

इन वितीय विवरणों को तैयार करने का उतरदायित्व प्रबंधन का है मध्यप्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1960 ओर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानको सहित मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओ के अनुसार बैंक की वितीय स्थिति व वितीय प्रदर्शन का सत्य ओर निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करे । इन जिम्मेदारियो में धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वितीय विवरणियो की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियत्रण ओर जोखिम प्रबंधन सिस्टम की तैयारी कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ।

लेखा परीक्षक का दायित्व :- (Auditor's Reponsibility)

हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वितीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करे । हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान दवारा जारी लेखा परीक्षा के मानको के अनुरूप किया है । इन मानको की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओ का अनुपालन करे ओर लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाए एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करे कि हम इस संबंध में इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि वितीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त है ।

किसी लेखा परीक्षा में वितीय विवरणियो की राशियों ओर प्रकट्नो के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाए शामिल होती है । चयनित प्रक्रियाए लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वितीय

विवरणियों में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है। इन जोखिम आकलनों को करने में, इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है न कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं। और हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं ।

मर्यादित राय के आधार (Basis for Qualified Opinion)

1. केंद्र शासन से फसल ऋण वितरण पर मिलने वाला ब्याज अनुदान वर्ष २०१५-१६ की कुल मांग रूपये ६०,६७,९३,१६८ के विरुद्ध ४०,६२,५७,९७१ रूपये ही स्वीकृत हुआ है| शेष राशि २०,०५,३५१९५ रुपयों में से १७,३२,४९,३९९ रूपये को व्यय में शामिल कर लिया गया है| शेष राशि रु. २,७२,८५,७९६ के लिए कोई प्रावधान नही किया गया है|

2. वर्ष के दौरान कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाये, म.प्र. के आदेश दिनांक २४/०९/२०१६ के अनुसार नियमित किये गये ५८ कर्मचारियों को देय वेतन में से आधे वेतन का भुगतान किया गया जिसका निर्धारण वर्ष २०१० से किया गया जबकि यह वर्ष २००१ से किया जाना चाहिए| आधा वेतन रु. १,०३,२५,३५३ जो देना बकाया है का कोई प्रावधान नहीं किया गया है | दिए गये बकाया वेतन पर आयकर की कोई कटोती भी नहीं की गई है |

3. अवन्ती सूतमिल के लोन खाते में वर्ष २०१६-१७ व २०१७-१८ में रु. ५,०२,११,७५० ब्याज प्रभारित किया गया जो मार्च २०१८ तक अप्राप्य (unrealized) है | चूंकि खाते N P A हैं अतः उक्त ब्याज को आय में से कम किया जाना चाहिए था |

4. GST
   a. बैंक के द्वारा खरीदी गई वस्तुओ एवम ली गई सेवाओं पर जो GST का भुगतान किया गया उसे GST Receivable खाते में नामे किया गया चूँकि GST के नियमानुसार बैंक द्वारा भुगतान किये गये GST में से सिर्फ ५०% इनपुट क्रेडिट प्राप्त होना है अतः पूर्ण राशि को GST Receivable A/C में नहीं डाला जाना चाहिए|५०% राशि खर्च के रूप में होकर लाभ हानि खाते में ले जाई जाना चाहिए|
   b. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा देय GST की राशि,जिसका समायोजन GST Receivable A/C से किया गया है, के लिए कोई प्रविष्टि हिसाबी पुस्तको में नहीं की गई है|

c. GST RECEIVABLE खाते में कई ऐसी राशियाँ भी नामे कर ली गयी हैं जिनका GST के नियमानुसार कोई Input Credit प्राप्त नहीं होना है यथा वाहन खरीदी तथा भवन निर्माण पर चुकाया गया GST, गिफ्ट सामग्री पर चुकाया गया GST।

उपरोक्त तीनों कारणों से GST Receivable खाते का शेष सही स्थिति नही दर्शा रहा है।

5. अन्य संपतिया शीर्ष में Cenvat Claim Receivable के रूप में रूपये ७९,४२,६७७/-दर्शाए जा रहे है इसमें से रूपये ७४,५६,४६०/- TRAN-1 के द्वारा GST Electronic Credit Ledger में चला गया है शेष राशि रूपये ४,८६,०१७ का अब कोई उपयोग नहीं है अतः इसे लाभ हानि खाते में अपलिखित किया जाना चाहिए था।

6. बैंक के द्वारा UTI Mutual Fund में किये गये निवेश को,एक Scheme से दूसरी Scheme में अंतरित करते समय होने वाले पूंजीगत लाभ (Capital Gain)की कोई प्रविष्टी नहीं की जाती है व सम्पूर्ण लाभ तभी हिसाब में लाया जाता है जब Mutual Fund Scheme का भुगतान प्राप्त होता है।

इस लेखा पद्धती के कारण निम्न अंतर पाए गये-:

a. UTI Mutual Fund से प्राप्त Capital Gain Statement के अनुसार इस वर्ष का कुल पूंजीगत लाभ रू.२,८८,९९,२४१ है,किन्तु बैंक के लाभ हानि खाते में UTI Mutual Fund से आय रु.३,१२,९८,४६७ दर्शायी जा रही है।

b. UTI Mutual Fund ३१.०३.२०१८ के शेष पुष्टिकरण प्रमाण पत्र के अनुसार कुल निवेश राशि ३२,००,५२,४८२ है जबकि बैंक की पुस्तको में यह निवेश रु. ३२,००,००,००० का दर्शाया जा रहा है।

7. कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश नगदीकरण के कुछ भाग का भुगतान प्रति वर्ष नगद किया जाता है। शेष अर्जित अवकाश नगदीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है जो की भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 15 – Employee Benefits- का उल्लंघन है।

8. Gratuity हेतु LIC को किया गया भुगतान ४२९ कर्मचारियों के लिए है। इसमे वे कर्मचारी शामिल नहीं किये जा रहे है जिन्हें वर्ष २००१ से नियमित किया गया है।

9. **शासकीय प्रतिभूतियाँ**
   a. शासकीय प्रतिभूतियों को क्रय करते समय भुगतान किये गये प्रीमियम को समय के अनुसार अपलिखित करने के स्थान पर प्रतिवर्ष १०% अपलेखन किया जा रहा है। इस कारण से जो प्रतिभूतियाँ इस वर्ष में खरीदी गयी हैं उनका १/१० प्रीमियम अपलिखित हो गया है जबकि यह अपलेखन खरीदी के माह के अनुसार होना था।

   b. शासकीय प्रतिभूतियों में विनियोग को अलग-अलग श्रेणी यथा HELD TO MATURITY , AVAILABLE FOR SALE व HELD FOR TRADING में नहीं दर्शाया जा रहा है।

   c. RBI के नियमानुसार HTM श्रेणी की प्रतिभूतियों के लिए वर्षांत पर बाजार मूल्य में कमी हेतु अवक्षयण किया जाना आवश्यक नहीं है,किन्तु बैंक ने सभी प्रतिभूतियो पर,जिनका बाजार मूल्य 31-03-2018 को खरीदी मूल्य से कम था, का अवक्षयण प्रावधान किया है।

   d. अवक्षयण प्रावधान की राशि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर की गई है जिसमे प्रीमियम की राशि भी शामिल है। चूँकि सभी प्रतिभूतियो पर प्रीमियम अलग खाते में Debit होकर अपलेखन किया जा रहा है,अतः अवक्षयण प्रावधान क्रय मूल्य पर करने के कारण लाभ-हानि खाते में एक ही राशि दो बार Charge हो गई है।

10. FNC Project(वित्तीय सहायता केंद्र) के लिए किये गये समस्त व्यय को अन्य संपतियां शीर्षक में Receivable बताया जा रहा है। चूँकि इस प्रोजेक्ट के खर्चे का २०% भाग बैंक को ही वहन करना है अतः कुल खर्चे की २०% राशि को लाभ हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

11. Subsidy Reserve खाते में रु 88,87,800 का पुराना बैलेंस है। इस वर्ष में रु 1,26,00,000 इस खाते में और जमा किये गए है जो कि कोर बैंकिंग हेतु व्यय राशि के विरुद्ध नाबार्ड से प्राप्त अनुदान है। इस प्रकार कुल जमा रु 2,14,87,800 है। इस कुल राशि का 10% आय के रूप में लाभ हानि खाते में जमा दर्शाया गया है।

    इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य विचारणीय है -:

    a) लेखांकन मानक 12 के अनुसार संपत्ति हेतु प्राप्त अनुदान की उतनी ही राशि लाभ हानि खाते में जमा की जाना चाहिए जितना उस संपत्ति का अपलेखन नामे किया गया है।

    b) देय आयकर की गणना करने हेतु संपत्ति की कुल लागत में से अनुदान की राशि को घटाकर शेष राशि पर ही आयकर हेतु अपलेखन की गणना की जाना चाहिए। बैंक द्वारा आयकर प्रावधान की गणना करते समय ऐसा नहीं किया गया है।

12. FDR Matured But Not Paid : RBI के नियमानुसार ऐसी FDR जो Mature हो गई है किन्तु भुगतान नहीं हुआ है, पर बचत खाते की ब्याज दर के अनुसार ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए जो बैंक द्वारा नहीं किया गया है।

13. Imbalance Fund : वर्षान्त में बैंक व PACS के बीच Imbalance का कुल योग रु॰ 30.10 करोड़ था परंतु इसके विरुद्ध प्रावधान रु. 22.98 करोड़ ही उपलब्ध था।

14. Fixed Assets
    a) वर्ष के दौरान सभा भवन में कुर्सिया क्रय की गयी जिसे भवन खाते में जमा किया गया है जबकि इन्हें फर्नीचर एवम फिक्सचर खाते में जमा किया जाना था।
    b) वाहन खरीदी पर चुकाई गई RTO Fees को लाभ हानि खाते में नामे कर दिया गया है जबकि यह वाहन खाते में ही नामे होनी चाहिए।

15. ऑडिट फीस के खर्चे में गत वर्ष के ऑडिट फीस की राशि र. ४३१५०० भी शामिल है जो गत वर्ष में प्रावधान न होने के कारण इस वर्ष खर्च में डाली गयी है।

16. TDS के Traces Portal पर बैंक के विरुद्ध कुल रु.४,८०,२२० की मांग आ रही है। इस हेतु कोई प्रावधान हिसाबी पुस्तको में नहीं किया गया है।

मर्यादित राय (Qualified Opinion) :-

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, मर्यादित राय के आधार में वर्णित मामलो के संभावित प्रभावों को छोड़कर वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और उचित स्थिति को दर्शाते हैं -

(अ) स्थिति विवरण पत्र के मामले में, बैंक की 31-03-2018 की कार्य स्थिति व

(ब) नफा नुकसान पत्रक के मामले में, उस तारीख पर समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ की स्थिति

अन्य मामले (Other Matters) :-

उपरोक्त "मर्यादित राय के आधार" में वर्णित मामलो के अलावा हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान वित्तीय विवरण के अन्य मामलों पर आकर्षित करते हैं जो कि **अनुबंध - अ** में उल्लेखित हैं।

इन मामलो के सम्बन्ध में हमारी राय मर्यादित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट (Report on other Legal and Regulatory Requirements) :-

1. हम सर्कुलर संख्या 106 DOS 192008 दिनांक 30-06-2008 विस्तृत पत्र संख्या NBDOSPOL/1309 / JI / 2008-09 में दिए गए आदेश के अनुसार बैंक को **श्रेणी "ए"** में वर्गीकृत करते हैं।

2. उपर्युक्त दर्शायी गई लेखापरीक्षा की सीमा, मर्यादित राय (Qualified Opinion) और लेखो पर कि गयी हमारी अन्य टिप्पणियां जो कि अनुबंध A, लॉन्ग फार्म ऑडिट रिपोर्ट व शाखा अंकेक्षण टीप में दी गयी हैं व लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ही भाग है, के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :-
   a) हमने सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक हैं।
   b) हमारे द्वारा किये गए परीक्षण के अनुसार, कानून द्वारा जरूरी खातो की उचित पुस्तकों को बैंक बना रही है।
   c) स्थिति विवरण,नफा नुकसान पत्रक व अन्य सम्बंधित पत्रक हिसाबी पुस्तकों के अनुरूप है।

दिनांक:- 23 /05/2018

वास्ते :- व्ही के डफरिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन:- 000021C

V.K. DAFRIA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS INDORE

मनीष डफरिया
(पार्टनर)
मेम्बरशिप न. :- 075591

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ (म.प्र.)

तीसरी तालिका बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 29 के अंतर्गत प्रारूप 'अ' स्थिति विवरण पत्रक 31/03/2018

31 मार्च 2017	क.	पूंजी एवं देनदारिया	रकम	रकम
100000000.00	1	अंशपूंजी		1000000000.00
		1. अधिकृत अंश पूंजी		
		अ. वर्ग अंश रूपये 1000 का प्रत्येक		
		ब. वर्ग अंश रूपये 100 का प्रत्येक		
		स. वर्ग अंश रूपये 10 का प्रत्येक		
		2. अभिदत्त अंशपूंजी		
		अ. वर्ग अंश रूपये 100 का प्रत्येक		
		ब. वर्ग अंश रूप्ये 1000 का प्रत्येक		
		स. वर्ग अंश रूपये 10 का प्रत्येक		
		3. प्रदत्त अंशपूंजी		302085776.73
40000.00		40 अंशों में प्रति अंश 1000 राज्य शासन	40000.00	
265025430.73		3011379 अंशों में प्रति अंश 100 सह. समिति एवं 29 अंशों में प्रति अंश 50 के मान से	301139349.73	
193057.00		16618 अंशों में प्रति अंश 10 नाम मात्र एवं 5550 अंशो प्रति अंश 5 के मान से	193927.00	
712500.00		शेयर केपीटल टु आईसीडीपी	712500.00	
		उपरोक्त मे से धारित		302085776.73
40000.00		अ. राज्य शासन	40000.00	
265025430.73		ब. सहकारी संस्थाएं	301139349.73	
193057.00		स. नाम मात्र	193927.00	
712500.00		द शेयर केपीटल टु आईसीडीपी	712500.00	
	2	रक्षित कोष एवं अन्य निधिया		620919700.94
167880632.13		अ. रक्षित कोष	183420720.13	
150355769.76		ब. कृषि साख स्थिरीकरण कोष	159679822.76	
41907571.95		स. भवन कोष	41838761.95	
-		द. लाभांश समीकरण निधि	-	
0.00		इ. डुबंत एवं संदिग्ध निधि	0.00	
206402442.76		ई. मानक अस्तियों पर प्रावधान	205250654.76	
11331049.14		उ. रिकंसीलेशन प्रावधान	11331049.14	
6899917.79		उ. कोर बेंकिग प्रावधान	6899917.79	
	3	अन्य कोष एवं निधियां		
5979517.00		अ. जीप निधि	5979517.00	
1317654.54		ब. कर्म. परिवार कल्याण कोष	545472.54	
2330923.87		द. स्टाक एवं फर्नीचर फंड	2330923.87	
41298.00		इ. रिस्क फंड	41298.00	
21563.00		ई. जनरल रिजर्व फंड	21563.00	
3580000.00		उ. शासकीय अंशपूंजी मोचन निधि	3580000.00	
	4	अमानते एवं अन्य खाते		3432268054.89
		1. मियादी अमानत		
1505239186.40		अ. व्यक्तिगत	1695487219.96	
0.00		ब. केंद्रीय सह.अधिकोष	0.00	
96315821.70		स. अन्य समितियां	95728127.22	
		2. बचत अमानत		
1127221454.53		अ. व्यक्तिगत	1267379890.91	

31-03-2017	क्र.	सम्पत्ति एवं लेनदारिया	राशि	राशि
	1	**सिल्लक**		280273509.19
231910054.37		तिजोरी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया	280273509.19	
		इंदौर, राज्य सहकारी बैंक एव केंद्रीय सह. बैंक मे		
	2	**अन्य बैंको मे अमानत**		208865931.00
25036509.58		अ. चालू अमानत	50373262.00	
1000.00		ब. बचत अमानत पोस्ट आफीस	1000.00	
554593555.00		स. मुददति अमानत अपेक्स बैंक	153491669.00	
75000000.00		द. स्टेट बैंक आफ इंडिया एवं अदर्स	5000000.00	
	3	**अल्पकालीन एवं मांग अमानत**		0.00
	4	**विनियोग**		1042883605.00
772000000.00		अ. केंद्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभूतियां	732000000.00	
		ब. अन्य अमानत प्रतिभूतिया		
197516000.00		स. सहकारी संस्थाओ के अंश	206616000.00	
91199293.00		द. रिजर्व फण्ड डिपाजिट	104267605.00	
		इ. इंदिरा विकास पत्र		
	5	**राज्य भागीदारी की मूल / सहायक पूंजी का विनियोग**		
		अ. केंद्रीय सहकारी अधिकोष		
		ब. प्राथमिक साख समितिया		
		स. अन्य समितियां		
	6	**ऋण**		6516057622.62
4521149885.49		1. अल्पकालीन, केश केडिट, अधिविकर्ष एवं बिलो मे	5634801218.95	
		इसमे से प्रतिभूत है		
		अ. शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतिया		
		ब. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतिया		
		उक्त मे से व्यक्तिगत ऋण रूपये		
		डुबंत ऋण रूपये		
		संदिग्ध ऋण रूपये		
923245518.25		2. मध्यावधि ऋण	872791432.67	
		इसमे से प्रतिभूत है		
		अ. शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतिया		
		ब. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतिया		
		उक्त मे से व्यक्तिगत ऋण रूपये		
		कालातीत ऋण रूपये		
		डुबंत ऋण रूपये		
		संदिग्ध ऋण रूपये		
2149802.00		3. दीर्घावधि ऋण	1964971.00	
		इसमे से प्रतिभूत है		
		अ. शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतिया		
		ब. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतिया		
6500000.00		स. फूड केडिट कंस्ट्रीयम	6500000.00	
		उक्त मे से व्यक्तिगत ऋण रूपये		
		डुबंत ऋण रूपये		
		संदिग्ध ऋण रूपये		

31 मार्च 2017	क.	पूंजी एवं देनदारिया	रकम	रकम
0.00		ब. केंद्रीय सह.अधिकोष	0.00	
196767242.13		स. अन्य समितियां	278293591.70	
		3. चालू अमानते		
55476843.60		अ. व्यक्तिगत	61273931.72	
0.00		ब. केंद्रीय सह.अधिकोष	0.00	
38639067.80		स. अन्य समितियां	34105293.38	
0.00	5	आहूत अन्य कालीन अमानते	0.00	
	6	ऋण		3436731142.25
0.00		1. रिजर्व बैंक आफ इंडिया/राज्य सह.अधि.से	0.00	
2628900000.00		2. अल्पावधि ऋण, केश केडिट एवं अधिविकर्ष	3175800000.00	
		अ. इसमे से प्रतिभूति है		
		ब. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूति पर		
131795819.03		स. ओव्हरड्राफ्ट करंट खाता	59382252.08	
0.00		द. ओव्हरड्राफ्ट एसबीआई	0.00	
471592944.17		3. मध्यावधि ऋण	201548890.17	
0.00		अ. इसमे से प्रतिभूति है	0.00	
0.00		ब. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूति पर	0.00	
0.00		स. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		4. दीर्घकालीन ऋण	0.00	
0.00		अ. इसमे से प्रतिभूति है	0.00	
0.00		ब. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूति पर	0.00	
0.00		स. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर	0.00	
0.00		5. स्टेट बैंक आफ इंडिया से	0.00	
0.00		अ. अल्पावधि ऋण, केश केडिट एवं अधिविकर्ष	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
0.00		इसमे से प्रतिभूत है	0.00	
		क. शास. एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर		
		ख. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर		
		ग. मध्यावधि ऋण		
		इसमे से प्रतिभूत है		
		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर		
		ख. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर		
		ग. दीर्घाकालीन ऋण		
		इसमे से प्रतिभूत है		
		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर		
		ख. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर		
		ग. राज्य शासन से		
		अ. अल्पावधि ऋण,		
		इसमे से प्रतिभूत है		
		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर		
		ख. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर		
		ब. मध्यावधि ऋण		
		इसमे से प्रतिभूत है		
		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर		
		ख. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर		
		स. दीर्घाकालीन ऋण		
		इसमे से प्रतिभूत है		
		क. शासकीय अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियो पर		
		ख. अन्य दर्शनीय प्रतिभूतियो पर		
		4. अन्य स्त्रोतो से ऋण		

31-03-2017	क्र.	सम्पत्ति एवं लेनदारिया	राशि	राशि
38026366.73	7	**ब्याज प्राप्ति योग**	21983645.32	21983645.32
		इस मे से कालातीत ऋण रूपये		
		डुबत एवं संदिग्ध ब्याज रूपये		
	8	**चेक प्राप्ति योग्य**		0.00
0.00	9	**शाखाओ का समायोजन**	46360995.68	46360995.68
8372915.00	10	**ऋण राहत योजना शासन से लेना**	8372915.00	8372915.00
965506.75	11	**भवन**	868955.75	868955.75
12390566.31	12	**फर्नीचर एवं फिक्चर्स**	12208002.31	12208002.31
	13	**अन्य सम्पत्तियां**		97733121.81
5355071.00		1. जीप	4111561.00	
134839.51		2. कर्मचारी अग्रिम	133458.51	
5179165.86		3. केडर ऑफिसर्स सेलेरी	7648463.61	
105715.81		4. वाचनालय	105715.81	
		5. शासन से लेना		
75944395.27		6. विविध लेनदारिया	64244570.64	
18500000.00		7. अग्रिम आयकर	19500000.00	
1894666.69		8. फार्म स्टेशनरी स्टाक	1989352.24	
		9. अग्रिम सहकारी समितिया		
0.00		10. ओटीएस	0.00	
		11. भारत शासन से लेना बाकी ऋण राहत		
0.00		12. हानि	0.00	
7567170826.62		**योगः–**	**8235608303.68**	**8235608303.68**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ (म.प्र.)

प्रारूप– ब

लाभ हानि पत्रक वर्षांत 31/03/2018 पर दूसरी तालिका रेग्यूलेशन एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत

क्र.	2016.17	व्यय	राशि 2017.18	2016.17	आय	राशि 2017.18
1	253709858.09	ब्याज अमानतों दिया अमानतों पर	222267964.81	112866836.00	ब्याज प्राप्त विनियोगों पर	100621411.84
	282688100.01	ब्याज दिया ऋणों पर	499924008.92	521554226.85	ब्याज प्राप्त कृषि ऋणों पर	550485450.70
				43147745.00	ब्याज प्राप्त व्यक्तिगत ऋणों पर	225893166.15
2	65550502.00	वेतन भत्ता एवं प्रा0 फंड कांट्रीब्यूशन	65696053.50	1180456.28	कमीशन एवं वसूली	347077.58
3	27450.00	संचालक एवं स्थानीय कमेटी फीस एवं भत्ता	6800.00	0.00	अनुदान तथा दान	0.00
4	7840355.00	किराया, कर, बीमा, विद्युत आदि	28181996.25	47460.00	नान बैकिंग संपत्तियों से आय एवं उनके बेचान अथवा व्यवहार से लाभ	47460.00
5	103776.50	कानूनी खर्च	1648065.00			
6	951738.03	डाक तार एवं दूरभाष व्यय	908482.75			
7	388860.00	आडिट फीस	368648.00	46991.75	अन्य आय	679124.00
8	4005034.00	घसारा	2756614.00	275395.63	लाकर्स किराया	485265.00
9	3955659.02	स्टेशनरी, छपाई, विज्ञापन आदि	3181838.14	8137090.16	डिवीडेन्ट प्राप्त	6455060.27
10	1690048.20	जीप व्यय	2279046.38		सबसीडी	
		अन्य व्यय				
11	0.00	प्रिमियम टू गर्वमेन्ट सिक्यूरिटी	1012045.00			
12	34671.00	चंदा युनियन एण्ड अदर्स	35125.00			
13		केडर फंड कन्ट्रीब्युशन	0.00			
14	4149798.49	अन्य व्यय	10926102.66			
15	0.00	NPA प्रावधान	0.00			
16	**62160351.33**	**शुद्ध लाभ**	45821225.13			
	687256201.67	**योग**	**885014015.54**	**687256201.67**	**योग**	**885014015.54**

31 मार्च 2017	क.	पूंजी एवं देनदारिया	रकम	रकम
	7	वसूली योग्य बिल्स (विमुख अनुसार)		
30705787.92	8	शाखाओ का समायोजन	0.00	0.00
156920601.29	9	देय ब्याज	167771021.43	167771021.43
	10	अन्य देनदारिया		229945322.22
119518942.56		अ. विविध देनदारिया	156552681.16	
3071888.00		ब. ऋण राहत की राशि संस्थाओ को देना	3071888.00	
7123499.00		स. अंकेक्षण शुल्क	6478977.30	
1290156.00		द. चंदा देय जिला एवं राज्य सह. संघ	1290156.00	
0.00		इ. केडर फंड	0.00	
6253036.78		ई. बोनस पेएबल	7253959.78	
1040774.11		उ. बचत बैंक गारंटी फंड	1071528.11	
62867338.84		उ. सबसिडी रिजर्व फंड	54226131.87	
		ए. बिल्स पेएबल		
	11	लाभ		45887285.22
81148524.76		अ. गत स्थिति विवरण पत्रक का लाभ	124571446.42	
62160351.33		ब. जोडा इस वर्ष का लाभ	45821225.13	
143308876.09		योग	170392671.55	
80897781.00		स. घटाया लाभ वितरण करने से	124505386.33	
62411095.09		द. शेष लाभ	45887285.22	
		2. आकस्मिक देनदारिया		
7567170826.62		योग	8235608303.68	8235608303.68

सही/–
नोडल अधिकारी (सीबीएस)

सही/–
प्रबंधक लेखा

सही/–
वरिष्ठ महाप्रबंधक

सही/–
संचालक

सही/–
संचालक

सही/–
अध्यक्ष

सही/–
बैंक अंकेक्षक

अग्रेषित
सही/–
उप आयुक्त, सहकारिता
जिला झाबुआ

निर्गमित
सही/–
संयुक्त आयुक्त,
सहकारी सोसायटियां
संभाग इंदौर

Maheshwari & Goyal
CHARTERED ACCOUNTANTS

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षण विवरण प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ जिसका पंजीयक क्रमांक 177 दिनांक 19.09.1919 तथा जिसकी 20 शाखाए एवं प्रधान कार्यालय जिला झाबुआ में है, का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियॉ मध्यप्रदेश भोपाल एवं रिजर्व बैंक/नाबार्ड अधिकारी के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया गया है। बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र/लायसेंस बैंक कार्यालय में उपलब्ध है।

मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ का 31 मार्च 2018 तक की स्थिति का विवरण पत्रक, लाभ–हानि पत्रक जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखाओं से संबंधित है की प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रमाणित लेखाओं के आधार पर जांच की गयी जो कि इन पत्रको में सम्मिलित किये गये है।

अतः मेरे मत में अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपो को छोड़करः–

1. बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत तथा पंजीयक सहकारी समितियॉ/अपेक्स बैंक भोपाल के प्रशासनिक निर्देषों के एवं बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट की आवश्कताओ के अनुरूप किया गया है।
2. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है। आवश्यक सभी जानकारी जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को दर्शाते है उनका समावेश इनमें है। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध में बताई गई है तथा जो खातों में दर्शायी गयी है उनका समावेष इन पत्रकों में है। आपत्तियॉ आडिट नोट में बताई गई है।
3. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है।
4. बैंक का समस्त व्यवहार, व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है।
5. अंकेक्षण हेतु जो प्रपत्र बुलाये गये सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है।
6. लाभ हानि पत्रक शेष लाभ का सही चित्रण नही करता है। आपत्तियॉ आडिट नोट में बताई गई है।
7. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ हानि पत्रक नियमों के अनुरूप बनाया गया है।

मेरे मतानुसार बैंक की समस्त लेखा पुस्तके आवश्यकता के अनुसार है। अतः मैं नाबार्ड के परिपत्र परिपत्र क्र. NB.DoS.HO.POL/431/J.1/2013-14 दिनांक 06.05.2013 द्वारा प्रकाशित निर्देशों में दी गई कसौटी के आधार पर बैंक को "**अ**" वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।

वर्ष 2017–18 के लिए अंकेक्षण वर्गीकरण "**अ**" की पुष्टि की जाती है।

For Maheshwari & Goyal,

Partner.

–सांविधिक अंकेक्षक–
माहेश्वरी एण्ड गोयल
108, सिल्वर सन्चोरा केसल,
इन्दौर (म.प्र.) 452001

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 31 मई 2018

अंकेक्षक द्वारा प्रदत्त वर्ग "अ" की पुष्टि की जाती है।
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी सोसाइटियॉ
इन्दौर

किसान कृषि के साथ पशु पालन करे तो कृषि आय में लाभ प्राप्त होगा - राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि किसान यदि कृषि के साथ पशु पालन भी करे तो वे कृषि से अतिरिक्त आय प्राप्त करेंगे और उनकी कृषि लाभ का व्यवसाय बन जायेगी। राज्यपाल श्रीमती पटेल गोविन्द नगर वनखेड़ी में भाऊसाहब भुस्कुटे लोकन्यास परिसर में एक करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित 100 सीटर बालक छात्रावास भवन का लोकार्पण तथा कृषि विज्ञान केन्द्र भवन का भूमि–पूजन कर रही थी। राज्यपाल ने आम के पौधों का रोपण भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि जिले के किसान कृषि विज्ञान केन्द्र में अनिवार्य रूप से जाकर वहाँ खेती की आधुनिक तकनीक को आत्मसात करे। बड़े किसान अपने आधा एकड़ खेत में नवीन तकनीकी का प्रयोग करे और आर्गेनिक खेती करे। उन्होंने बताया कि जैसे एक व्यापारी अपनी आय–व्यय का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर रखता है वैसे ही किसान भी अपना एक रजिस्टर बनाये जिसमें वे खेती में लगने वाली लागत और लाभ को दर्शित करे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सफल व्यवसायी बनना है तो वो रजिस्टर मैंटेन करना प्रारंभ कर दे। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कि मंशा है कि हर किसान की आय दोगुनी हो जाए। यदि कृषि वैज्ञानिक और समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति एक साथ जुटेंगे और नया प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से किसान की आय दोगुनी होगी। उन्होंने किसानो को फर्टिलाईजर का उपयोग न करने की सलाह दी और कहा कि आज कृषि विभाग ड्रिप एरिगेशन एवं स्प्रिंकलर पर सब्सिडी दे रहा है, तो किसान उसका लाभ उठाये।

विज्ञान केन्द्र जबलपुर के निर्देशक श्री अनुपम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 51 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं। कृषि वैज्ञानिक प्याज और टमाटर की वैरायटी पर कार्य कर रहे हैं। कृषि एवं विज्ञान केन्द्र से आम युवाओं को रोजगार मिलता है।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कृषि महाविद्यालय जबलपुर में चयनित छात्र आशीष पटेल और बबीता विश्नोई को प्रशंसा–पत्र दिया। उन्होंने माटी और बाँस कला के शिल्पियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने हस्तलिखित कार्ड का विमोचन किया तथा न्यास द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन किया। राज्यपाल ने हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और गैस कनेक्शन एवं चूल्हा वितरित किया।

जिला संघ में ध्वजारोहण

रतलाम। जिला सहकारी संघ मर्यादित, रतलाम के कस्तूरबा नगर मेनरोड़ स्थित कार्यालय पर संघ के अध्यक्ष श्री शरद जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया। श्री जोशी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए अमर शहिदों का पुण्य स्मरण करके सभी से आव्हान किया कि आजादी को सुरक्षित रखने और राष्ट्र को उन्नति के लिये अपने कर्तव्यों का पूरी कर्मठता से पालन करना चाहिये। जिससे हमारा देश और अधिक समृद्ध बनें।

इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष श्री शरद जोशी, उपायुक्त सहकारिता श्री पी.एन. गोडरिया, संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिरूद्ध प्रसाद शर्मा, श्री गुलाबराव जगदाले, श्री पी.एल. गेहलोत, श्री पिंकेश भट्ट, श्री एन.के. जैन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री आर.के. भट्ट,वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री जे.सी. जोनवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री आर.के. सोनी, सहकारी निरीक्षक, श्री खन्ना, सहकारी निरीक्षक, श्री एन. के. नांदेचा, सहकारी नरीक्षक, श्री आर. सी. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, श्री एम.सी. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, श्री विजयसिंह परिहार, श्री मावर, श्री सूर्यनारायण उपाध्याय, श्री विश्वास शर्मा, श्री सौभाग्यमल कोठारी, श्री चंदन ललवानी, श्री गिरधारीलाल, श्री मगनलाल, श्री यशवन्त, जमील खान, राजेन्द्र बिथारिया आदि उपस्थित थे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

व्यापार के लिए 1.6 लाख छोटे व्यापारियों को इस वर्ष मिलेंगे ऋण

उनकी सरकार ने उसे गरीबों की ओर मोड़ दिया है। गरीबी हटाने के नारे तो बहुत बनें किन्तु गरीबी हटाने के कार्य उनकी सरकार कर रही है। सरकार ने गरीब की सभी जरूरतों की पूर्ति कर गरीबी हटाने का रास्ता तैयार किया है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सबके लिये हैं कुछ लोग ही उसका उपयोग करते हैं। इसलिये जो सबसे पीछे हैं, उन्हें सरकार के संसाधनों का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी मंशा से मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना बनी है। पंजीयन के लिये केवल एक आवेदन लिखकर देना होगा कि वे लघु, फुटकर व्यापारी है। किसी भी प्रकार का सत्यापन पंजीयन के लिये नहीं होगा। जनता जो कहेगी, वो ही सही होगा।

हर जरूरत में गरीब को ष्संबलष् का मिलेगा साथ

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में पंजीकृत व्यक्ति को रहने के भूमि का टुकड़ा नहीं होने पर उपलब्ध कराया जायेगा। भूमि उपलब्ध नहीं होने पर बहुमंजिली इमारत में फ्लैट दिया जायेगा। आगामी चार वर्षों में सभी को पक्का मकान मिलना सुनिश्चित किया जायेगा। बच्चों की शिक्षा की फीस सरकार भरवायेगी। बिजली का बिल 200 रूपये प्रतिमाह फ्लेट रेट पर मिलेगा। बिल का बकाया माफ होगा। प्रसव पूर्व चार हजार और बाद में बारह हजार रूपये की सहायता पोषण आहार के लिये मिलेगी। बीमारी का निरूशुल्क इलाज होगा। असामयिक मृत्यु पर दो लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख रूपये 60 वर्ष से कम उम्र होने पर मिलेंगे। पंजीयन का कार्य अभी जारी है। श्री चौहान ने कहा कि गरीबी से लड़ाई के सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिये जरूरी है कि कमाई का पैसा नशे आदि के फालतू कार्यों में व्यय नहीं किया जाये। बच्चों को हर हाल में शिक्षा दिलवायी जाये। महिलाओं का सम्मान किया जाये। उन्होंने बताया कि मासूम के दुराचारी को मृत्यु दण्ड का कानून सबसे पहले प्रदेश में बनाया गया है।

कार्यक्रम में भोपाल नगर निगम द्वारा संबल योजना में 11 हजार 563 हितग्राहियों को एक करोड़ तीन लाख रूपये से अधिक के लाभ वितरित किये गये। आभार नगर निगम अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहानने माना। म. प्र. गान का गायन सुश्री सुहासिनी जोशी ने किया। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह और श्री रामेश्वर शर्मा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद की श्रीमती फायजा बी से चर्चा की। फायजा बी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना में मिले 2 लाख के ऋण और 60 हजार की अनुदान राशि से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। विदिशा की श्रीमती रेखा धाकड़ ने कहा कि पक्का मकान उनके लिये सपना था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से हकीकत बन गया है। देवास की श्रीमती हेमलता ठाकुर ने बताया कि भाई के परिवार की दुर्घटना में मृत्यु से उनके माता–पिता असहाय हो गये थे जिन्हें 4 लाख रूपये की सहायता ने जीवन का सहारा दिया है। उज्जैन की श्रीमती निकिता पवार ने आर्थिक कल्याण योजना में एक लाख के ऋण और 20 हजार की अनुदान राशि से ट्रेनिंग सेंटर चलाने की बतायी। जबलपुर के श्री पप्पू गुप्ता ने पैडल रिक्शे के ई–रिक्शा में बदलने से उनके जीवन में आये सुखद बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके बच्चे अब अच्छे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ग्वालियर की श्रीमती कामिनी कोरी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों के कारण हताशा का भाव बन गया था किन्तु दो लाख रूपये की सहायता ने उन्हें जीने का नया हौसला दिया है।

इस अवसर पर देवास में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, ग्वालियर में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, जबलपुर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री शरद जैन, विदिशा में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र–संस्करण राज्य मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा भी मौजूद रहे।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित (माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर
फोन : 0731-241908, 9926451862

म.प्र. में बेहतर सिंचाई सुविधा ने बदल दी किसानों की जिंदगी

मध्यप्रदेश में पिछले 15 वर्षों से निरंतर बढ़ रहे सिंचाई संसाधनों ने लाखों किसानों की जिन्दगी बदल दी हैं। साढ़े सात लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाले इस प्रदेश में आज 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। अगले छरू वर्ष में 80 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य की तरफ प्रदेश बढ़ चुका है। प्रदेश में बीता दशक जल क्रांति का रहा।

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना वर्ष 2014 में प्रारंभ हुई और 2018 में पूरी हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभी 23 जून को इस परियोजना का लोकार्पण किया है। राजगढ़ जिले में लगभग 4000 करोड़ रुपये लागत से बनी मोहनपुरा सिंचाई परियोजना से 727 गाँवों को लाभ होगा। इस परियोजना में नेवज नदी पर निर्मित बाँध से नागरिकों को 8 मिलियन घन मीटर पीने का पानी और 5 मिलियन घन मीटर औद्योगिक क्षेत्रों के लिये पानी मिलेगा। इसकी जल–भराव क्षमता 616.27 मिलियन घन मीटर है। एक लाख चौंतीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने वाली इस परियोजना से पथरीले और कृषि में पिछड़े माने गये राजगढ़ क्षेत्र का कायाकल्प होगा। राज्य शासन ने इस परियोजना से किसानों के खेतों में सीधे पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसी इलाके में कुण्डालिया बांध का निर्माण भी पूरा किया गया है। इससे करीब सवा लाख हेक्टेयर में रूपांकित सिंचाई होगी। इसी तरह सिर्फ चार वर्ष में बिलगांव बांध का निर्माण भी पूर्ण हुआ है। इससे करीब दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के **पर ड्राप मोर क्रॉप** के सिद्धांत को अपनाते हुए नई परियोजनाओं में नहर प्रणाली की जगह भूमिगत पाइप लाईन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर जोर दिया गया है। इस पद्धति से वर्ष 2024 तक करीब 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। सिंचाई परियोजनाओं से जल उपयोग क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी। पहले यह क्षमता 43 प्रतिशत थी। इसे सूक्ष्म सिंचाई के सहारे 80–85 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। समग्र रूप से सिंचाई जल उपयोग दक्षता में बीस प्रतिशत वृद्धि लाई जाएगी।

प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का उद्देश्य किसानों की समृद्धि और सम्पूर्ण आबादी की खुशहाली है। किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन से कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, लेकिन उनकी समुचित पुनर्वास व्यवस्था से विस्थापितों की तकलीफें दूरी की जाती हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने विस्थापितों को आवश्यकतानुसार जरूरी सुविधाएँ देकर भली–भाँति नई जगह पर बसने में पूरी मदद की है। सिंचाई परियोजनाओं से इन कस्बों और ग्रामों में आगे चलकर घर–घर नल की टोंटी से पानी पहुँचाने की तैयारी भी की जा रही है।

प्रदेश में कुछ जिले सिंचाई के कम प्रतिशत के कारण अपेक्षित प्रगति से पीछे रह गये हैं। ऐसा ही एक जिला शिवपुरी भी है। यहाँ सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी 30 जुलाई को सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है। लोअर ओर वृहद परियोजना से पौने तीन लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी। करीब 2208 करोड़ रूपये लागत की इस परियोजना से शिवपुरी जिले के 306 और दतिया जिले के 37 अर्थात कुल 343 ग्रामों में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। परियोजना का बांध स्थल बामौरकलां है, जो चंदेरी से मात्र बीस किलोमीटर दूरी पर है। अशोकनगर जिले की सीमा से बहने वाली बेतवा नदी की सहायक नदी पर इस बांध का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से कुल एक लाख 10 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात् करीब पौने तीन लाख एकड़ में सिंचाई होगी।

यह स्थापित सत्य है कि मध्यप्रदेश को निरंतर कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की एक प्रमुख वजह राज्य में अच्छी सिंचाई सुविधाओं का उपलब्ध होना भी है। जल संसाधन विभाग दिन–प्रति–दिन सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए कार्य कर रहा है। प्रदेश में 20 वृहद परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है। सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी में प्रदेश, आंध्रप्रदेश के बाद दूसरा राज्य है। यहाँ करीब दो हजार जल उपभोक्ता संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ करीब 25 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन का कार्य सहभागिता से कर रही हैं। नहर के आखिरी छोर के किसानों से मोबाइल फोन द्वारा अधिकारियों का सम्पर्क रहता है। इससे शत–प्रतिशत सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिल रहा हैं।

अध्ययन भ्रमण सहकारी संस्थाओं के तुलनात्मक विकास का एक सुअवसर

आई.सी.डी.पी. सिवनी द्वारा महाराष्ट्र के सहकारी संस्थाओं का अध्ययन भ्रमण सम्पन्न

जबलपुर। सहकारी संस्थाओं के विकास में अध्ययन भ्रमण की गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत सहकारी कार्यकर्ताओं को सहकारी संस्थाओं की प्रगति की तुलनात्मक जानकारी मिलती है और इस अध्ययन भ्रमण से प्रशिक्षार्थियों को अपने कार्यक्षेत्र की सहकारी संस्थाओं में विकासशील कार्य करने का अवसर मिलता है। उपरोक्त अध्ययन भ्रमण के उद्देश्यों को लेकर एकीकृत सहकारी विकास परियोजना सिवनी द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के माध्यम से जिले की सहकारी संस्थाओंके कार्यकर्ताओं के लिए एक अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया। अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे के नेतृत्व, मार्गदर्शन व संयोजन में महाराष्ट्र की प्रमुख सहकारी संस्थाओं के अध्ययन भ्रमण हेतु आयोजित किया गया। भ्रमण में आई.सी.डी.पी. के लेखापाल श्री रामकिशोर बघेल का मार्गदर्शन और सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा।

सिवनी से अध्ययन भ्रमण का शुभारम्भ आई.सी.डी.पी. की महाप्रबंधक व उपायुक्त सहकारिता सुश्री अनीता उइके के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। सुश्री उइके ने इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त की और कहा कि सहकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं के अध्ययन भ्रमण का सुअवसर मिला है वे उत्साहपूर्वक सहकारी संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करें और सिवनी जिले में सहकारिता के विकास में योगदान दे।

सहकारी कार्यकताओं द्वारा भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम नासिक में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड का अध्ययन किया गया जहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वाय.आर.डब्ल्यू. बकाल द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी। इस दौरान एच. आर.डी. लिलकर द्वारा संस्था भ्रमण कराया गया। द्वितीय क्रम में सहकारी कार्यकर्ताओं द्वारा अवनखेड़ा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था का अध्ययन किया जहां पर कि श्री भाई साहब ने ढिंडोरी आफीस ने जानकारी प्रदान की। यहां पर श्री किशोर गांगुर्डे एवं सचिव श्री भास्कर गोविन्द राऊत ने भ्रमण कराया एवं संस्था का विवरण दिया।

तृतीय क्रम में सहकारी कार्यकर्ताओं का पड़ाव रहा श्री सांई संस्थान एम्पलाईज क्रेडिट को–आपरेटिव्ह सोसाइटी लिमिटेड शिर्डी। यहॉ पर संस्था के अध्यक्ष, प्रबंधक ने संस्था के विकास के संबंध में चर्चा की। चतुर्थ क्रम सभी कार्यकर्ता पहुंचे दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड। यहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राव साहब लक्ष्मण बर्पे ने भ्रमण पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान में छतरपुर, राजगढ़ जिले को मिला प्रथम स्थान

भोपाल। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि कल्याण अभियान में चलाये जा रहे कार्यक्रमों में प्रदेश के छतरपुर और राजगढ़ जिले को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। इन जिलों में अभियान के तहत बेहतर काम किया गया है। अभियान में प्रदेश के 8 जिलों छतरपुर, राजगढ़, गुना, विदिशा, सिंगरौली, बड़वानी, खण्डवा और दमोह को श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है।

छतरपुर जिले में इस वर्ष एक जून से 14 अगस्त के दौरान लक्ष्य का शत–प्रतिशत 5362 स्वाइल हेल्थ–कार्ड बाँटे गये हैं। जिले में 4104 मिनी किट्स, सामाजिक वानिकी क्षेत्र में बाँस–रोपण में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 25 हजार पौधों का रोपण किया गया है। नाडेप में शत–प्रतिशत और कृत्रिम गर्भाधान में निर्धारित लक्ष्य 2500 के विरुद्ध 2525 की उपलब्धि हासिल की गई है। कृषि आदान में निर्धारित किये गये 250 लक्ष्य के विरुद्ध 615 और किसानों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में लक्ष्य 75 के विरुद्ध 357 उपलब्धि हासिल की गई है। अभियान में राजगढ़ को भी पहला स्थान मिला है। यहाँ पर 16 हजार 919 स्वाइल हेल्थ–कार्ड, लक्ष्य से अधिक 4050 मिनी किट्स वितरित किये गये हैं।

सहकारिता से अंत्योदय : एक सफल नवाचार

भोपाल। मध्यप्रदेश में सहकारिता की गतिविधियों ने आन्दोलन का रूख अख्तियार कर लिया है। सहकारिता से अन्त्योदय के नवाचार से ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था में तेजी से सुधार दिखाई देने लगा है। नवाचार के जरिये प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न क्षेत्र में 400 से अधिक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। झाबुआ और इसके आस–पास के जिलों में पाई जाने वाली कड़कनाथ मुर्गा की विशेष प्रजाति के पालन और विपणन के लिए कड़कनाथ सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की व्यवसायिक सफलता ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कड़कनाथ सहकारी समिति के सदस्यों की पहल की सराहना की है।

सहकारिता से अंत्योदय के इस प्रयास में क्षेत्र विशेष के स्थानीय परिवेश और संसाधनों को ध्यान में रख कर सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में 33, ई–रिक्शा आटो परिवहन के क्षेत्र में 15, परिवहन के क्षेत्र में 20, सेवा प्रदाता के क्षेत्र में 31, जैविक कृषि के क्षेत्र में 47, रहवासी क्षेत्र में 100, श्रम ठेका क्षेत्र में 56, सामाजिक वानिकी एवं उद्यानिकी क्षेत्र में 31, कड़कनाथ मुर्गी पालन की 52, महिला गृह उद्योग के क्षेत्र में 3, सुरक्षा और भंडारण के क्षेत्र में दो–दो तथा गणवेश एवं कम्प्यूटर–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक–एक समिति पंजीकृत की गई हैं। नव–गठित सहकारी समितियों द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है।

सहकारिता से अंत्योदय योजना में राज्य स्तर पर नवाचार प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्रकोष्ठ लगातार समितियों के गठन, संचालन में सहयोग और वित्तीय व्यवस्था संबंधी मार्गदर्शन देता है। योजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा प्रमुख सचिव सहकारिता खुद करते हैं।

नवाचारी प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय हेल्थ केयर सहकारी समिति, प्रदेश स्तरीय इंजीनियर्स श्रम निर्माण सहकारी समिति, रूद्र सर्प विष विकर्षण एवं अनुसंधान सहकारी समिति और मध्यप्रदेश जन औषधि उत्पादन एवं विपणन संघ का पंजीयन किया जा चुका है।

सहकारिता विभाग द्वारा सभी प्रकार की जन–औषधियाँ और ब्रॉण्डेड दवाइयों को रियायती दर पर उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सहकारी जन–औषधि विपणन संघ का पंजीयन किया गया है। प्रधानमंत्री जन–औषधि परियोजना में जनता को रियायती दरों पर जन–औषधि उपलब्ध कराने की योजना के लिए संघ का गठन किया गया है। राज्य सहकारी जन–औषधि विपणन संघ मर्यादित के रूप में संचालित होगा।

सभी जिले एवं विकासखण्ड स्तर पर जन–औषधि केन्द्रों का संचालन किया जायेगा। संघ का उद्देश्य सभी प्रकार की औषधियों का न्यूनतम मूल्य पर रोगियों को सीधे लाभ दिलाना तथा इलाज को न्यूनतम मूल्य पर सुनिश्चित कराना होगा। संघ विश्व–स्तरीय मानक की दवाई कम्पनियों का चयन कर उनकी दवाइयों को रियायती दर पर विक्रय करवाने की व्यवस्था करेगा। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग द्वारा सभी औषधियों के विक्रय का प्रावधान होगा। संघ के माध्यम से यह व्यवस्था भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से प्रारंभ की जा रही है, जो बाद में पूरे प्रदेश में की जायेगी। संघ द्वारा विभिन्न रोगियों को चिकित्सा जाँच उपलब्ध कराने के लिये आधुनिक पैथालॉजी और चिकित्सालय की व्यवस्था की जायेगी। जन–औषधि केन्द्र पैथालॉजी का संचालन कर लोगों कों रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

सहकारी समितियों के अमले को प्रशिक्षित करने की भी पहल की गई है। राज्य सहकारी संघ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण देने वाली पहली सहकारी संस्था है। संस्था द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सहकारी क्षेत्र में कौशल उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। नेशनल स्किल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आरपीएल स्कीम में राज्य सहकारी संघ द्वारा रिटेल सेक्टर में कार्यरत 2000 सहकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 3000 को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाना है।

मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने इंदौर में की समीक्षा

भोपाल। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाली तथा महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जन–कल्याण (संबल) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। यह ध्यान रखा जाये कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहें और अपात्र को किसी भी हाल में लाभ नहीं मिले। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय में ही दें। इससे योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। अंत्येष्टि सहायता योजना में मृतक के परिवार को तुरंत सहायता राशि दी जाये। संभव होने पर यह राशि शासकीय सेवक मृतक के परिजन के घर पहुँचकर स्वयं दें।

मुख्य सचिव श्री सिंह आज इंदौर संभाग के अधिकारियों की उच्च–स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जन–कल्याण संबल योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन हो जाये। सभी एसडीओ पंचायतवार समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में एक और समीक्षा बैठक रखी जायेगी, जिसके पहले सभी एसडीओ अपने क्षेत्रों की पंचायतों में योजना के क्रियान्वित की समीक्षा करें। समीक्षा में कमियाँ पाये जाने पर उसे तुरंत दूर करें। जरूरत के समय सहायता राशि देंगें तो वह राशि उद्देश्यों को पूरा करने में उपयोगी हो सकेगी। उन्होंने परीक्षण कर अपात्र व्यक्तियों के नाम भी हटाने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर संभाग में इस योजना पर प्रभावी अमल किया जा रहा हैं। संभाग में अभी तक 1704 हितग्राही की मृत्यु होने पर दो–दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता दी गई। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 229 हितग्राहियों के परिजनों को 4–4 लाख की सहायता राशि दी गई। इसी तरह अंत्येष्टि सहायता में 2000 परिवारों को मृतक की अंत्येष्टि के लिए 2–2 हजार की मदद दी गई। इसी तरह संभाग में सरल बिजली योजना में 10 लाख 26 हजार 533 परिवारों को लाभांवित किया गया। प्रसव पूर्व 7,864 तथा प्रसव बाद 9 हजार से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह, संभागायुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरीरंजन राव, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी श्री आकाश त्रिपाठी, वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री पवन शर्मा, श्रमायुक्त श्री राजेश बहुगुणा, श्री अजीत कुमार सहित संभाग के जिलों के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।